संख्या 00400/2019-2020 पत्रावली संख्या J/JAL/0016918 दिनांक 15/10/2019

प्रारूप-8
नियम 7(2) देखिये

सोसाइटी-रजिस्ट्रीकरण
का
प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

पंजीकरण संख्या **JAL/06272/2019-2020**

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि **स्वामी विवेकानन्द एजुकेशनल सोसायटी, उरई रोड़ कोंच जालौन जिला जालौन, जलौन, 285205** को आज उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में यथासंशोधित सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के अधीन सम्यक रूप से रजिस्ट्रीकृत किया गया है ।
यह प्रमाण पत्र दिनांक **14/10/2024** तक विधिमान्य होगा ।
आज दिनांक **15/10/2019** को मेरे हस्ताक्षर से दिया गया ।

Digitally Signed By
(RAVI KUMAR)
सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश ।

सत्य प्रतिलिपि
14.01.2020
सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
उ0 प्र0 झाँसी।
10/01/20

स्मृति-पत्र / Memorandum Of Association

संस्था का नाम / Society's Name :	स्वामी विवेकानन्द एजुकेशनल सोसायटी
संस्था का पता / Society's Address :	उरई रोड़ कोंच जालौन जिला जालौन,Jalaun,285205
संस्था का कार्य क्षेत्र / Society's Work Area :	सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश रहेगा
संपर्क संख्या / Contact Number :	9935572132

संस्था के उद्देश्य / Objectives of Society :

(यें उद्देश्य

खादी ग्राम, उद्योग ,	पंचायत उद्योग, ग्रामीण विकास , ,	विज्ञान	साहित्य या ललित कला की प्रोन्नति ,	शिक्षा के लिये ,	उपयोगी जानकारी के प्रसार के लिये (राजनीतिक शिक्षा) ,	जनसामान्यन के लिये स्थायपित पुस्तककालयों/ वाचनालयों से संबंधित ,	रंग चित्रों या अन्ये कला कृतियों/ संग्राहालयों/ गैलरियां ,	प्राकृतिक इतिहास के संकलन ,	यांत्रिक / दार्शनिक , ,	बहुउदेशीय ,

से सम्बंधित है)

1. बालक/बालिकाओं, शैक्षिक विकास हेतु शिक्षण संस्थाओं विद्यालय/महाविद्यालयों की स्थापना कर उनका संचालन करना।

2. तकनीकी शिक्षा एवं गैर तकनीकी शिक्षा में संस्था स्थापित कर समस्त वर्ग के बालक एवं बालिकाओं को प्रशिक्षित करना तथा उनका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं चारित्रिक विकास कर सुयोग्य नागरिक बनाना।

3. संस्थान द्वारा पौधशाला की स्थापना करना एवं बनीकरण, बृक्षारोपण जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों को संस्थान की भूमि पर लगाना ।

4. ग्रामीण गरीबों को प्राकृतिक चिकित्सा के प्रयोग से परिचित कराना एवं उसके प्रयोग के लिए प्रेरित करना।

5. पिछड़े हुऐ ग्रामीण युवजनों के लिए आरोग्य स्वास्थ केन्द्रों, ज्ञानार्जन हितार्थ पुस्तकालय, वाचनालय, छात्रा-वास, मनोरंजन के एवं व्यायामशालाओं की स्थापना कर संचालित करने का प्रयास करना।

6. महिला, बाल, युवा, प्रौढ़ विकास कार्यक्रम, विज्ञान शिक्षा एवं निःशुल्क प्रशिक्षण कला कौशल के विकास हेतु सिलाई, कताई, कढ़ाई, बुनाई, गृह शिल्प, दस्तकारी, कम्प्यूटर प्रशिक्षण, टाईप, षार्ट हैण्ड प्रशिक्षण, रेडीमेड गारमेन्ट, फैशन डिजाइनिंग, फल संरक्षण, दाल प्रसोधन सहित तमाम रोजगारपरक प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

7. बाल कल्याण, महिला कल्याण, युवा कल्याण अल्प संख्यक कल्याण, बृद्ध कल्याण, पिछडी जाति, अनुसूचित जाति, जन जातियों के कल्याण हेतु ग्राम विकास, मलिन बस्तियों के सुधार, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों को मुख्य धारा से जोड़ने बाले कार्यक्रमों, योजनाओं को राज्य सरकार/केन्द्र सरकार एवं उनके विभागों एवं अनुभागों, वित्त एवं विकास निगमों मानव संसाधन विकास मंत्रालय, एवं कपार्ट आदि समस्त वित्त पोशाक श्रोतों, स्वदेशी संस्थाओं से योजनाओं, कार्यक्रमों एवं वित्तीय सहायता को प्राप्त करना। तथा उनका उपयोग संस्था द्वारा संचालित किये जा रहे कार्यक्रमों के विकास एवं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु करना।

8. समय समय पर निःशुल्क सांस्कृतिक कार्यक्रम विचारगोश्ठी, सेमिनार, वर्कशाप, खेलकूद प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिताएं, जागरूकता एवं समाज सेवा शिविर, जन स्वास्थ्य शिविरों आदि की समुचित व्यवस्थाएं कराये जाने का प्रयास करना।

9. सामाजिक कुरूतियो, अन्धविश्वासों, रूढ़ियों, जातिगत ऊँच नीच, धार्मिक विद्ववेशो से ग्रसित जनता में वैज्ञानिक दृशअिकोण तथा आपसीभाईचारे की भावना का विकास करना।

10. संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किसी भी बैंक, ग्रामीण बैंक, राश्ट्रीयकृत बैंक, अन्तर्राश्ट्रीय बैंक, डाकखाना इत्यादि एवं वित्तीय संस्थान, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार आदि से दान/अनुदान/ऋण "आर्थिक सहायता" प्राप्त करना संस्था की सम्पत्तियों को गिरवी रखना व अन्य सदस्यों की जमानत स्वीकार करना। व संस्था की चल अचल सम्पत्ति की देखरेख कर उसको समय क्रय बिक्रय करना।

11. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के प्रति धर्मार्थ चिकित्सालयों के माध्यम से कार्यक्षेत्र में स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी देना तथा परिवार नियोजन कार्यक्रमों, मद्यपान निशेध केन्द्रों, पल्स पोलियों कार्यक्रमों, टीकाकारण कार्यक्रमों, धर्मार्थ चिकित्सालयों, एड्स नियंत्रण कार्यक्रमों, हेपेटाइटिस बी, टीकाकरण, नेत्र शिविरो, रक्त दान शिविरों, स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्रों व कार्यक्रमों का आयोजन करना एवं उनका संचालन करना।

12. देश की जनसंख्या नियंत्रण, स्वास्थ सुधार एवं परिवार कल्याण सम्बन्धी शिविरों का आयोजन कर जागरूकता पैदा करना तथा समाज में व्याप्त कुरीतियों जैसे नशावन्दी निर्वसन केन्द्र' दहेज प्रथा, एड्स, आगजनी, बाढ़, सूखा व खादी ग्रामोद्योग तथा उनसे सम्बन्धित भारत सरकार द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों मे सहयोग करना ।

उषा देवी
सुरेन्द्र सिंह
आरती सिंह
मैना शर्मा
विनीता देवी
देवेन्द्र सिंह
धर्मेन्द्र कुमार

कैलाश कुमार
अभिषेक कुमार
श्रीमती ...
राजेन्द्री
सन्तोषी
Basant
रेखा पटेल

राधा पटेल
sarvesh
अखलेश
Kaumesh
Abhishek

सत्य प्रतिलिपि
सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
झाँसी
10.01.2020

13. नेत्रहीन, विकलांग और मानसिक रूप से असहाय, मूक बधिर मंदबुद्धि विकलांगों, निहित प्रतिक्षा एवं क्षमता का यथा योग्य विकास करने हेतु प्रशिक्षण देकर आत्म निर्भर कराना।

14. कुष्ट तथा अपाहिज एवं संक्रामक रोगों से ग्रस्त निराश्रित निःसहाय लोगों की निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था हेतु स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना करना व देश में बढती हुई भिक्षावृद्धि को रोकना और देश में बढती हुई बेरोजगारी को दूर करने हेतु मुस्लिम युवक, युवतियों को रचनात्मक कार्यक्रम हेतु प्रोत्साहित करना व समय समय पर प्रतियोगिताएँ आयोजित कराना ।

15. एड्स रोग जिसके बढते हुऐ प्रकोप मे पूरा विश्व परेशान है एड्स से बचने के लिए जन मानस को उपाय की जानकारी देना एवं एड्स और एड्स रोगियों के प्रति फैली भ्रान्तियों को दूर करने का प्रयास करना।

16. समाज कल्याण विभाग, केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय एवं राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, हुडको, कपार्ट, अवार्ड, नाबार्ड, यूनीसेफ, सिडवी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, डबाकरा, सिप्सा, सैफ-इण्डिया, नोराड तथा अनुमोदित महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों तथा ग्रामीण विकास परियोजनाओं का प्रचार प्रसार एवं उनका संचालन करना।

17. महिलाओं और बच्चों, वृद्धों के लिए धर्माथ आश्रम बनाना, नारी सुलभ शौचालय केन्द्र एवं बाल विकास केन्द्रों की स्थापना करना व उन्हे रोजगार परख शिक्षा व पूर्ण सहयोग प्रदान करने का प्रयास करना ।

18. महिलाओं और बच्चों, वृद्धों के लिए धर्माथ आश्रम बनाना, नारी सुलभ शौचालय केन्द्र एवं बाल विकास केन्द्रों की स्थापना करना व उन्हे रोजगार परख शिक्षा व पूर्ण सहयोग प्रदान करने का प्रयास करना ।

19. आदिवासियों एवं अनूसूचित जाति एवं अनु0 जन जातियों का समग्र विकास करना व उन्है विकास की मुख्यधारा मैं लाना, विमुक्ति जन जातियों एवं आदिवासीयों के जीवन में सुधार करने का प्रयास करना।

20. बालकों मैं अपराध की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को रोकना व बालक अपराधियों को शैक्षिणिक, सामाजिक एवं चरित्र का विकास एवं पुर्नवास करना ।

21. बधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का प्रयास करना एवं उनके पुर्नवास की व्यवस्था करना ।

22. मादक पदार्थों का उन्मूलन एवं नशाखोरों के अन्दर पड़ी इन आदतों को छुड़ाने का प्रयास करना।

23. अपराम्परिक ऊर्जा श्रोत सयंत्रों, गौबर गैस, बायों गैस, सोर ऊर्जा तथा पवन ऊर्जा पर आधारित कार्यक्रमों का प्रदर्शन व विकास करने का प्रयास करना ।

24. ग्रामीण विकास हेतु मलिन बस्तियों के सुधार करने का प्रयास करना, घर घर में सुलभ शौचालय बनाना और इसके टैंक से बायों गैस का उत्पादन व प्रयोग करने का प्रयास करना और सोर ऊर्जा द्वारा विद्युत व्यवस्था करने का प्रयास करना ।

25. पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बृक्षारोपण के कार्यक्रमों संस्था की भूमि पर बृक्षों को लगाना व बृक्षों की रक्षा के लिए प्रेरित करना और रसोई के लिए अपराम्परिक ऊर्जा प्रयोग के लिए प्रेरित करना व इन साधनों को सुलभ कराने का प्रयास करना।

26. संस्था द्वारा बालक, बालिकाओं के विद्यालय एवं तकनीकी शैक्षिणिक विकास हेतु कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना कर उनका संचालन करना ।

27. तकनीकी शिक्षा एवं गैर तकनीकी शिक्षा में संस्था स्थापित कर समस्त वर्ग के बालक एवं बालिकाओं को प्रशिक्षित करना तथा उनका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं चारित्रिक विकास कर सुयोग्य नागरिक बनाना।

28. संस्थान द्वारा पौधशाला की स्थापना करना एवं बनीकरण, बृक्षारोपण जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों को संस्थान की भूमि पर लगाना ।

29. बरबाद होते हुऐ जल का संगृहण कर सिचाई एवं पेयजल की व्यवस्था व कृषि एवं उद्यान विकास के लिए प्रयास करना ।

30. गाँव के खेतों मे लगी जड़ी बूटियों (बन औषधियों) के बारे में ग्रामीण जनों को जानकारी देना व आयुर्वेद चिकित्सकीय महत्व बताना ।

31. ग्रामीण गरीबों को प्राकृतिक चिकित्सा के प्रयोग से परिचित कराना एवं उसके प्रयोग के लिए प्रेरित करना।

32. पिछड़े हुऐ ग्रामीण युवजनों के लिए आरोग्य स्वास्थ केन्द्रों, ज्ञानार्जन हितार्थ पुस्तकालय, वाचनालय, मनोरंजन के एवं व्यायामशालाओं की स्थापना कर संचालित करने का प्रयास करना ।

33. देश मे बढ़ती हुई भिक्षावृत्ति को रोकना और भिक्षुक गृहों को निर्माण कर उनका पुर्नवास करने का प्रयास करना ।

34. महिलाओं के लिए सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, कताई व दस्तकारी प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना कर निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रयास करना।

35. समाज कल्यण विभाग, केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय एवं राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, हुडको, कपार्ट, अवार्ड, नाबार्ड, यूनीसेफ, सिडवी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, डबाकरा, सिप्सा, सैफ-इण्डिया, नोराड तथा अनुमोदित महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों तथा ग्रामीण विकास परियोजनाओं का प्रचार प्रसार एवं उनका संचालन करना ।

36. गरीब आदिवासीयों एवं अनुसूचित जाति व विमुक्ति जन जाति की महिलाओं के लिए साक्षरता कार्यक्रम का संचालन एवं प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र बाल विहार, बालवाड़ी, शिल्पकला केन्द्र की व्यवस्था व संचालन करने का प्रयास करना, और इन्हैं कुटीर उदयोगों के लिए बैंकों से आर्थिक सहायता दिलाने का प्रयास करना।

37. दैवीय आपदाओं के समय पीड़ित जनता के मध्य राहत कार्य करना जैसे युद्ध, महामारी, दुर्घटना, बाढ़, सूखा आदि इसके लिये पीड़ित जनता की सहायता विभिन्न प्रकार के रचनात्मक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के द्वारा उन्हे मुफ्त भोजन, बस्त्र एवं दबा आदि की मदद पहुंचाने का कार्य करेगी ।

सत्य प्रतिलिपि
14/01/2020
सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
उ० प्र० झाँसी।

उषा देवी
सुरेन्द्र सिंह
आरती सिंह
मैना शर्मा
विनीता देवी
देवेन्द्र सिंह
धर्मेन्द्र कुमार

Kaumesh
Abhishek

प्रबन्धरकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम , पता, पद एवम व्यवसाय जिनको संस्था के नियमानुसार कार्यभार सौपा गया है /
Details of officie bearer and members of Management Committee :

क्रम सं.	नाम	पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय	मोबाइल नं.	फोटो	हस्ताक्षर
1.	श्रीप्रकाश निरंजन	श्री बाबूराम	ग्राम चमरसेना पो0 गुरावती कोंच जालौन	अध्यक्ष	से0नि0शि0	9839880414		[illegible]
2.	देवेन्द्र कुमार निरंजन	श्री श्रीगोविन्द	ग्राम ताहरपुरा पो0 पनयारा कोंच जालौन	उपाध्यक्ष	नौकरी	9415924622	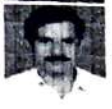	[illegible]
3.	सुरेन्द्र कुमार निरंजन	श्री श्रीगोविन्द निरंजन	ग्राम ताहरपुरा पो0 पनयारा तह0 कोंच जालौन	प्रबंधक	कृषि	9935572132		SK niranjan
4.	धीरेन्द्र सिंह	श्री श्रीप्रकाश	अरिहन्त नगर तेलीबान्ध रायपुर छत्तीसगढ	उपप्रबंधक	व्यापार	9752153003		[illegible]
5.	बृजेन्द्र कुमार	श्री श्रीगोविन्द	ग्राम ताहरपुरा पो0 पनयारा तह0 कोंच जालौन	कोषाध्यक्ष	कृषि	9919956085		[illegible]
6.	हरेकृष्ण	श्री श्रीप्रकाश	ग्राम चमरसैना पो0 गुरावती कोंच जालौन	आय व्यय निरीक्षक	कृषि	8009983040		HKlinjan
7.	स्वरूप सिंह	श्री बाबूराम	ग्राम चमरसैना पो0 गुरावती कोंच जालौन	सदस्य	कृषि	9919680963		स्वरूप सिंह
8.	श्रीमती ऊषा देवी	श्री श्रीप्रकाश	ग्राम चमरसैना पो0 गुरावती कोंच जालौन	सदस्य	गृहणी	9621510032		ऊषा देवी
9.	सुरेन्द्र सिंह	श्री श्रीप्रकाश	ग्राम चमरसैना पो0 गुरावती कोंच जालौन	सदस्य	कृषि	7355061832		सुरेन्द्र सिंह
10.	श्रीमती आरती सिंह	श्री हरेकृष्ण	ग्राम चमरसैना पो0 गुरावती कोंच जालौन	सदस्य	गृहणी	9554086355		आरती सिंह
11.	श्रीमती नैना शर्मा	श्री धीरेन्द्र सिंह	अरिहन्त नगर तेलीबान्ध रायपुर छत्तीसगढ	सदस्य	गृहणी	9575212121		नैना शर्मा
12.	श्रीमती विनीता देवी	श्री सुरेन्द्र सिंह	ग्राम चमरसैना पो0 गुरावती कोंच जालौन	सदस्य	गृहणी	7355935885		विनीता देवी
13.	देवेन्द्र सिंह	श्री सत्यप्रकाश	ग्राम चमरसैना पो0 गुरावती कोंच जालौन	सदस्य	कृषि	8009543838		

सहायक निबन्धक कार्यालय ... समिति ... उत्तर प्रदेश, झाँसी

Niranjan
Niranjan
SK niranjan
[illegible]
Brijendra
HKlinjan

ऊषा देवी
सुरेन्द्र सिंह
आरती सिंह
नैना शर्मा
विनीता देवी
देवेन्द्र सिंह
धर्मेन्द्र कुमार

वैभव कुमार
अभिषेक कुमार
श्रीगोविन्द
राजेन्द्री
सन्तोषी
Basant
रिचा पटेल

राधा पटेल
Saresh
अखलेश
Kaumesh
Abhishek

सत्य प्रतिलिपि
14.01.2020
सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
उ0 प्र0 झाँसी
10/01/20

								देवेन्द्र सिंह
14.	धर्मेन्द्र कुमार	श्री मिट्ठू लाल	ग्राम मड़ौरा पो0 उरई जिला जालौन	सदस्य	कृषि	7897074060		धर्मेन्द्र कुमार
15.	वैभव कुमार	श्री रामेन्द्र सिंह	ग्राम बिरगुवाँ खुर्द पो0 पिरौना कोंच जलौन	सदस्य	कृषि	7692837844		वैभव कुमार
16.	अभिषेक कुमार	श्री रामकुमार	ग्राम पो0 ऐट जिला जालौन	सदस्य	कृषि	9651018088		अभिषेक कुमार
17.	श्रीगोविन्द	श्री टीकाराम	ग्राम ताहरपुरा पो0 पनयारा तह0 कोंच जालौन	सदस्य	कृषि	8795207273		श्रीगोविन्द
18.	राजेन्द्री	श्री शशिकपूर	ग्राम पो0 सुट्टा गरौठा झाँसी	सदस्य	ग्रहणी	9965853954		राजेन्द्री
19.	श्रीमती संतोषी देवी	श्री देवेन्द्र कुमार	ग्राम ताहरपुरा पो0 पनयारा कोंच जालौन	सदस्य	गृहणी	7007502929		सन्तोषी
20.	बसन्त कुमार	श्री मोतीलाल	ग्राम गिरधरपुरा पो0 शेखपुर कानपुर देहात	सदस्य	कृषि	8874796279		Basant
21.	रिचा पटेल	श्री सुरेन्द्र कुमार निरंजन	ग्राम ताहरपुरा पो0 पनयारा कोंच जालौन	सदस्य	गृहणी	9026679500		रिचा पटेल
22.	श्रीमती राधा पटेल	श्री बृजेन्द्र कुमार	ग्राम ताहरपुरा पो0 पनयारा कोंच जालौन	सदस्य	गृहणी	8400832286		राधा पटेल
23.	सर्वेश कुमार	श्री अनिल कुमार	सदर कांटा ललितपुर जिला ललितपुर	सदस्य	व्यापार	7389904439		Sarvesh
24.	अखलेश कुमार	श्री महेन्द्र पाल सिंह	ग्राम पो0 सतोह कोंच जिला जालौन	सदस्य	व्यापार	9450036580		अखलेश
25.	कौमेश सिंह पटेल	श्री शशि कपूर	ग्राम पो0 सुट्टा गरौठा झाँसी	सदस्य	शिक्षक	9005118159		Kaumesh
26.	अभिषेक पटेल	श्री करन सिंह	ग्राम पो0 खरा जिला जालौन	सदस्य	कृषि	7607123636		

सहायक निबंधक ... उत्तर प्रदेश

Niranjan
Niranjan
SK Niranjan
अरविन्द सिंह
Brajendra
Kirtinjan

आशा देवी
सुरेन्द्र सिंह
आरती सिंह
नैना शर्मा
विनीता देवी
देवेन्द्र सिंह
धर्मेन्द्र कुमार

वैभव कुमार
अभिषेक कुमार
श्रीगोविन्द
राजेन्द्री
सन्तोषी
Basant
रिचा पटेल

राधा पटेल
Sarvesh
अखलेश
Kaumesh
Abhishek

सत्य प्रतिलिपि
सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
उ0 प्र0 झाँसी।
10/01/20

Abhishek

सभी लिखे हुए साधारण सभा के सदस्यों का विवरण की सूची / List of all Entered Genral Body members' details

क्रम सं.	नाम	पिता/पति का नाम	पता	व्यवसाय
1.	श्रीप्रकाश निरंजन	श्री बाबूराम	ग्राम चमरसेना पो0 गुरावती कौंच जालौन	से0नि0शि0
2.	देवेन्द्र कुमार निरंजन	श्री श्रीगोविन्द	ग्राम ताहरपुरा पो0 पनयारा कौंच जालौन	नौकरी
3.	सुरेन्द्र कुमार निरंजन	श्री श्रीगोविन्द निरंजन	ग्राम ताहरपुरा पो0 पनयारा तह0 कौंच जालौन	कृषि
4.	धीरेन्द्र सिंह	श्री श्रीप्रकाश	अरिहन्त नगर तेलीबान्ध रायपुर छत्तीसगढ़	व्यापार
5.	बृजेन्द्र कुमार	श्री श्रीगोविन्द	ग्राम ताहरपुरा पो0 पनयारा तह0 कौंच जालौन	कृषि
6.	हरेकृष्ण	श्री श्रीप्रकाश	ग्राम चमरसैना पो0 गुरावती कौंच जालौन	कृषि
7.	स्वरूप सिंह	श्री बाबूराम	ग्राम चमरसैना पो0 गुरावती कौंच जालौन	कृषि
8.	श्रीमती ऊषा देवी	श्री श्रीप्रकाश	ग्राम चमरसैना पो0 गुरावती कौंच जालौन	गृहणी
9.	सुरेन्द्र सिंह	श्री श्रीप्रकाश	ग्राम चमरसैना पो0 गुरावती कौंच जालौन	कृषि
10.	श्रीमती आरती सिंह	श्री हरेकृष्ण	ग्राम चमरसैना पो0 गुरावती कौंच जालौन	गृहणी
11.	श्रीमती नैना शर्मा	श्री धीरेन्द्र सिंह	अरिहन्त नगर तेलीबान्ध रायपुर छत्तीसगढ़	गृहणी
12.	श्रीमती विनीता देवी	श्री सुरेन्द्र सिंह	ग्राम चमरसैना पो0 गुरावती कौंच जालौन	गृहणी
13.	देवेन्द्र सिंह	श्री सत्यप्रकाश	ग्राम चमरसैना पो0 गुरावती कौंच जालौन	कृषि
14.	धर्मेन्द्र कुमार	श्री मिट्ठू लाल	ग्राम मड़ौरा पो0 उरई जिला जालौन	कृषि
15.	वैभव कुमार	श्री रामेन्द्र सिंह	ग्राम बिरगुवॉं खुर्द पो0 पिरौना कौंच जलौन	कृषि
16.	अभिषेक कुमार	श्री रामकुमार	ग्राम पो0 ऐट जिला जालौन	कृषि
17.	श्रीगोविन्द	श्री टीकाराम	ग्राम ताहरपुरा पो0 पनयारा तह0 कौंच जालौन	कृषि
18.	राजेन्द्री	श्री शशिकपूर	ग्राम पो0 सुट्टा गरौठा झॉंसी	ग्रहणी
19.	श्रीमती संतोषी देवी	श्री देवेन्द्र कुमार	ग्राम ताहरपुरा पो0 पनयारा कौंच जालौन	गृहणी
20.	बसन्त कुमार	श्री मोतीलाल	ग्राम गिरधरपुरा पो0 शेखपुर कानपुर देहात	कृषि
21.	रिचा पटेल	श्री सुरेन्द्र कुमार निरंजन	ग्राम ताहरपुरा पो0 पनयारा कौंच जालौन	गृहणी
22.	श्रीमती राधा पटेल	श्री बृजेन्द्र कुमार	ग्राम ताहरपुरा पो0 पनयारा कौंच जालौन	गृहणी
23.	सर्वेश कुमार	श्री अनिल कुमार	सदर कांटा ललितपुर जिला ललितपुर	व्यापार
24.	अखलेश कुमार	श्री महेन्द्र पाल सिंह	ग्राम पो0 सतोह कौंच जिला जालौन	व्यापार
25.	कौमेश सिंह पटेल	श्री शशि कपूर	ग्राम पो0 सुट्टा गरौठा झॉंसी	शिक्षक
26.	अभिषेक पटेल	श्री करन सिंह	ग्राम पो0 खर्रा जिला जालौन	कृषि

हम निम्न हस्ताक्षरकर्तागण घोषित करते हैं कि हमने इस स्मृति-पत्र तथा नियमावली के अनुसार सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत एक समिति का गठन किया है। दिनॉंक / Date :-

हस्ताक्षर / Signature :

सत्य प्रतिलिपि
14.01.20
सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
झाँसी

ऊषा देवी
सुरेन्द्र सिंह
आरती सिंह
नैना शर्मा
विनीता देवी
देवेन्द्र सिंह
धर्मेन्द्र कुमार

वैभव कुमार
अभिषेक कुमार
श्रीगोविन्द
राजेन्द्री
सन्तोषी
Basant
रिचा पटेल

राधा पटेल
अखलेश
Kaumesh
Abhishek

संशोधित नियमावली

1. संस्था का नाम : **स्वामी विवेकानन्द एजुकेशनल सोसायटी**
2. संस्था का पूरा पता : **उरई रोड़ कोंच जालौन जिला जालौन (उ0प्र0)**
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश रहेगा
4. संस्था के उद्देश्य : स्मृति पत्र के अनुसार ही होंगे
5. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग :

कोई भी वयस्क व्यक्ति संस्था द्वारा अथवा निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करने पर संस्था का सदस्य बन सकेगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सदस्यता हेतु प्रवन्धकारिणी समिति द्वारा उसे अनुमोदित कर दिया गया हो। कोई भी व्यक्ति सदस्य बनने के 6 माह बाद ही मतदान में भाग लेने का अधिकारी होगा ।

सदस्यों के वर्ग निम्नलिखित होंगेः

अ. संरक्षक सदस्यः

जो व्यक्ति इस संस्था को एक मुश्त एक बार मुवलिग 1100/-रूपया अथवा इससे अधिक मूल्य की अचल सम्पत्ति संस्था को दान स्वरूप देगा वह इस संस्था का संरक्षक सदस्य कहलायेगा ।

ब. आजीवन सदस्यः

जो व्यक्ति इस संस्था को एक मुश्त एक बार मुवलिग 2100/-रूपया अथवा इससे अधिक मूल्य की अचल सम्पत्ति संस्था को दान स्वरूप देगा वह इस संस्था का आजीवन सदस्य कहलायेगा ।

स. सामान्य सदस्यः

जो व्यक्ति संस्था को प्रतिवर्ष 50/-रूपया अथवा इससे अधिक मूल्य की सम्पत्ति दान स्वरूप देगा वह संस्था का सामान्य सदस्य होगा ।

द. विशिष्ठ सदस्यः

जो व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में अथवा सामाजिक क्षेत्र में विशेष स्थान रखते हों जिन्हे संस्था की प्रबन्धकारिणी समिति की सहमति प्राप्त कर नामित करेगी वह व्यक्ति संस्था के विशिष्ट सदस्य होंगे परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे व्यक्ति मतदान में भाग लेने के अधिकारी न होंगे तथा न ही सदस्यता शुल्क के रूप में कोई धनराशि ही अदा करेंगे ।

6. सदस्यता की समाप्तिः

संस्था की सदस्यता की समाप्ति निम्नकारणों में से किसी एक कारण के होने पर की जा सकेगी।

1. किसी सदस्य की अचानक मृत्यु हो जाने पर,
2. पागल या दिवालिया हो जाने पर
3. सदस्यता शुल्क अदा न करने पर
4. प्रबन्धसमिति को अपना त्याग पत्र देने पर
5. न्यायालय द्वारा किसी अनैतिक अपराध में दण्डित किये जाने पर
6. लगातार विना सूचना के तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर
7. संस्था के नियमों के विरूद्ध कार्य करने पर

7. संस्था के अंग :

अ. साधारण सभा, ब. प्रबन्धकारिणी समिति,

8. साधारण सभाः

अ. गठनः साधारण सभा का गठन समस्त प्रकार के सदस्यों को मिलाकर होगा।

ब. बैठकः साधारण सभा की वर्ष में दो बैठक अनिवार्य होगी, विशेष बैठक आवश्यकतानुसार सूचना देकर कभी भी बुलाई जा सकेगी ।

स. सूचना अवधिः साधारण सभा की वार्षिक बैठक की सूचना दो दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना एक सप्ताह पूर्व दी जाना आवश्यक है ।

द. गणपूर्तिः साधारण सभा की बैठकों का कोरम कुल सदस्यों का 2/3 होगा परन्तु स्थगित बैठकों के लिए कोरम का बन्धन नही होगा बशर्ते एजेण्डा न बदला जाये ।

य. विशेष वार्षिक अधिवेशनः

साधारण सभा का वार्षिक अधिवेशन प्रतिवर्ष होगा, जिसकी तिथि व समय प्रबन्धकारिणी समिति ही निश्चित करेगी।

र. साधारण सभा के कर्तव्य/अधिकारः

1. साधारण सभा अपने प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों एवं पदाधिकारियों का निर्वाचन करेगी।
2. संस्था की नीति निर्धारण करना, नियमों/विनियामों में संशोधन करना ।
3. प्रबन्धकारिणी समिति में हुऐ रिक्त स्थान की पूर्ति करना ।
4. वार्षिक आय एवं व्यय का हिसाब (बजट) का अनुमोदन करना ।
5. कार्य विशेष के लिए समितियों का गठन करना तथा अधिकार क्षेत्र का निर्धारण करना।
6. भृष्ट सदस्यों को संस्था से निकालने का अधिकार साधारण सभा को होगा ।

9. प्रबन्धकारिणी समितिः

अ. गठनः प्रबन्धसमिति का गठन साधारण सभा के सभी सदस्यों द्वारा होगा व पद स्मृति पत्र के अनुसार ही होंगे। संख्या आवश्यकातनुसार घटाई बढ़ायी जा सकेगी ।

ब. बैठक (सामान्य/विशेष) प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक वर्ष में दो बार आवश्यक हुआ करेगी व आकस्मिक बैठक आवश्यकतानुसार कभी भी बुलाई जा सकेगी ।

स. सूचना अवधिः प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक की सूचना दस दिन पूर्व दी जायेगी तथा विशेष बैठक की सूचना दो दिन पूर्व दी जाना आवश्यक है, सभी सूचना लिखित दी जायेगी।

द. गणपूर्तिः प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक का कोरम कुल संख्या 2/3 बहुमत से होगा, स्थगित बैठकों के लिए कोरम की बाध्यता न होगी बशर्ते एजेण्डा न बदला जाये।

य. रिक्त स्थान की पूर्ति आदिः

1. प्रबन्धकारिणी समिति में सदस्यों के आकस्मिक रिक्त स्थान की पूर्ति शेष अवधि के लिए प्रबन्धकारिणी समिति साधारण सभा के सदस्यों से चयन/नामित कर करेगी ।

र. प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार/कर्तव्यः

1. संस्था के संचालन एवं साधारण सभा के प्रस्ताव का पालन करना और योजनाऐं बनाना।
2. संस्था की उन्नति हेतु नियमों/विनियमों को बनाना व साधारण सभा से उसकी पुष्टि करना।
3. विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
4. विद्यालय के प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित सदस्य होगा।
5. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के मेधावी छात्रों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों, में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नही लिया जायेगा।
6. संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान मांग नही की जाएगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय का संबद्धता सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्ड्र एजुकेशन नई दिल्ली/कौंसिल ऑफ इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उन परीक्षा परिषदों से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जाएगी।
7. संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेगें।
8. कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनायी जाएगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्त लाभ उपलब्ध कराये जायेगे।
9. राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगे, संस्था उनका पालन करेगी।

सत्य प्रतिलिपि
सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज़ एवं चिट्स

13. संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण (आडिट) :

1. संस्था के आय व्यय का लेखापरीक्षण (आडिट) प्रतिवर्ष किया जायेगा जो संस्था में नियुक्त आंकेक्षक या किसी चार्टेड एकाउन्टेंट द्वारा कराया जायेगा जिसकी रिपोर्ट वार्षिक अधिवेशन में सांधारण सभा में प्रस्तुत की जायेगी ।

14. संस्था द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्वः

1. संस्था द्वारा अथवा उसके विरूद्ध संचालित अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व संस्था के प्रबंधक को अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति को होगा ।

15. संस्था के अभिलेखः

1. सदस्यता रजिस्टर, 2. कार्यवाही रजिस्टर, 3. एजेण्डा (सूचना) रजिस्टर, 4. स्टाक रजिस्टर, 5. कैश बुक, 6. रसीद बुक आदि होंगे व आवश्यकतानुसार बनाये भी जा सकेंगे।

16. संस्था का विघटनः

संस्था का विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 13 व 14 के अनुसार ही होगी ।

(सत्यप्रतिलिपि)

सत्य प्रतिलिपि
सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

73AE 025927

उत्तर प्रदेश, झाँसी

यह जनरल स्टाम्प पेपर [illegible]

[illegible]

जेला [illegible] 0016918

[illegible] संलग्न है।

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
उ०प्र० झाँसी

[illegible]